2024:CGHC:44710–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 640/2020

घनश्याम वर्मा उर्फ राजा वर्मा, पिता श्री तेजराम वर्मा, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी: ग्राम ग्रासिम सीमेंट रावन, थाना सुहेला, जिला बलौदा बाजार (भाटापारा), छत्तीसगढ़। वर्तमान पता: पंचवटी नगर कापा, सज्जाद मेमन का मकान, देना बैंक के पीछे, थाना पंडरी (मोवा), जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना पंडरी, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

... प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : सुश्री निरुपमा बाजपेई, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से : श्री अंकुर कश्यप, उप–शासकीय अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री बिभु दत्त गुरु

बोर्ड पर निर्णय

द्वारा न्यायमूर्ति रजनी दुबे

18/11/2024

इस अपील में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 212/2018 में दिनांक 4.3.2020 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय की वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और उसे आजीवन कारावास तथा 1000/– रुपये के अर्थदंड, इसके व्यतिक्रम पर एक माह के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 4.7.2018 को शिकायतकर्ता कुमारी मंजू पटेल ने थाना–पंडरी में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट इस आशय से दर्ज कराई कि दिनांक 30.6.2018 को रात्रि लगभग 8.30 बजे उसकी छोटी बहन कु. रेवती पटेल अपने काम पर जाने के लिए निकली थी, लेकिन तब से वह घर वापस नहीं लौटी। तत्पश्चात, सज्जाद मेमन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि राजा वर्मा (यहाँ

अपीलार्थी) उसके मकान के प्रथम तल के कमरा नंबर 1 में रेवती पटेल के साथ पति–पत्नी के रूप में किराए पर रह रहा था। हालांकि, दिनांक 4.7.2018 को दोपहर लगभग 1.30 बजे जब वह कपड़े सुखाने के लिए छत पर गया, तो उसने कमरा नंबर 1 से दुर्गंध आती हुई महसूस की, जो बाहर से बंद था और वहां मक्खियां भिनभिना रही थीं। इसके बाद, पुलिस मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करने पर कमरे में रेवती पटेल का शव पड़ा हुआ पाया।

03. मृतका के मृत शरीर के शव–परीक्षण के दौरान, चिकित्सक ने मृत्यु का कारण विषाक्तता होने का संदेह व्यक्त किया। मृतका के कपड़े, स्लाइड और विसरा को रासायनिक परीक्षण के लिए सुरक्षित कर एफएसएल भेजा गया। मर्ग जांच के दौरान, कुमारी मंजू पटेल, ओमप्रकाश और सज्जाद मेमन के कथन अभिलिखित किए गए, जिससे यह प्रकट हुआ कि मृतका रेवती पटेल पेशे से एक नर्स थी और घनश्याम वर्मा वाहन चालक के रूप में कार्य कर रहा था, जिसने दिनांक 1.7.2018 की रात को उसके कमरे में उसकी हत्या कारित कर दी और फरार हो गया। इसके बाद, अभियुक्त ने मृतका के मोबाइल फोन से उसके मामा के लड़के वीरेंद्र कुमार पटेल के मोबाइल फोन पर एक संदेश भेजा कि उसकी बहन रेवती पटेल की सज्जाद द्वारा मोवा कांपा, देना बैंक के पीछे हत्या कर दी गई है और वह मोवा पुलिस के साथ तत्काल वहां पहुंचे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

04. विवेचना के दौरान, अभियुक्त/अपीलार्थी को दिनाँक 6.7.2018 को अभिरक्षा में लिया गया और उसका मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी./5 अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने प्रकट किया कि मृतका और उसके बीच पिछले 7–8 वर्षों से प्रेम संबंध थे; वे सज्जाद मेमन के घर में किराए पर रह रहे थे और जब भी वह मृतका से शादी के लिए कहता, वह मना कर देती थी। इसी कारण, दिनांक 1.7.2018 को रात लगभग 8.30 बजे जब उसने उससे शादी करने से इनकार किया, तो उसने गुस्से में आकर हाथों से उसका गला दबाकर और उसके बाद चार्जर केबल की सहायता से उसकी हत्या कारित कर दी। उसने यह भी प्रकट किया कि हत्या करने से पूर्व उसने एक नोटबुक पर आत्महत्या करने के बारे में लिखा था और उसकी हत्या के बाद, उसकी हत्या के संबंध में लिखा। उसने यह भी बताया कि रेवती की हत्या के बाद, उसने बिजली का तार पकड़कर आत्महत्या करने का प्रयत्न किया, किंतु एमसीबी गिर गई। उसके बताए अनुसार, साक्षियों की उपस्थिति में उसके घर से उक्त नोटबुक और चार्जर केबल प्रदर्श पी./6 के माध्यम से जब्त किए गए। हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण किए जाने पर यह रिपोर्ट दी गई कि उक्त नोट स्वयं अभियुक्त द्वारा लिखे गए थे। अभियोजन का आगे का प्रकरण यह है कि एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, परीक्षण के लिए भेजी गई मृतका की योनि स्लाइड में मानव शुक्राणु पाए गए और उसके विसरा में ऑर्गेनोफॉस्फोरस मिथाइलपैराथियान कीटनाशक पाया गया। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तदनुसार आरोप विरचित किए गए, जिन्हें उसने अस्वीकार किया और विचारण चाहा।

05. अपने प्रकरण को साबित करने के लिए अभियोजन ने कुल 14 साक्षियों का परीक्षण किया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन द्वारा उसके विरुद्ध प्रस्तुत समस्त अभियोगात्मक परिस्थितियों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया। यद्यपि, उसने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

06. संबंधित पक्षकारगण के अधिवक्तागण को सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन करने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपरोक्त वर्णित अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया। अत: यह अपील प्रस्तुत की गई है।

07. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित निर्णय स्वतः ही अवैध और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत है। यद्यपि प्रकरण के मुख्य साक्षी मृतका के करीबी नातेदार और हितबद्ध साक्षी हैं, फिर भी उनके साक्ष्यों में विरोधाभाष हैं। सज्जाद मेमन (अ.सा.–8) के अनुसार, मृतका अपीलार्थी के साथ उसके किराए के मकान में रह रही थी, जबकि दूसरी ओर, मृतका की बहन मंजू पटेल अ.सा.–2 ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि मृतका दिनाँक 30.6.2018 को कार्य पर जाने के बाद घर वापस नहीं लौटी। अ.सा.– 8 के घर में अपीलार्थी की किराएदारी के संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि न तो कोई किरायानामा प्रस्तुत किया गया और न ही अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजन का प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने हाथों से और उसके बाद चार्जर केबल की सहायता से गला दबाकर मृतका की हत्या की, जबकि शवपरीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी./15) और एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी./34) यह दर्शाती हैं कि उसकी मृत्यु विषाक्तता के कारण हुई थी। इसके अतिरिक्त, डॉ. शिवनारायण मांझी अ.सा.–9 ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उन्हें मृतका के शरीर पर गला घोंटने का कोई निशान नहीं मिला। यहां तक कि मृत्यु की प्रकृति, कि वह मानव वध थी या आत्महत्या, इसे भी अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया गया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कोई ऐसी पूर्ण कड़ी नहीं है जो अचूक रूप से अपीलार्थी के दोष की ओर इंगित करती हो, इसलिए अपीलार्थी संदेह का लाभ पाते हुए आरोप से दोषमुक्त होने का पात्र है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रत्नु यादव विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य,(2024) 7 एससीआर 466** में प्रकाशित प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया गया है।

08. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के तर्कों का विरोध करते हुए यह तर्क किया कि अपीलार्थी के आचरण, हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन उचित रूप से दोषसिद्ध एवं दण्डित किया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

09. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

10. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोपी बनाया गया था और अभियोजन ने अपना प्रकरण साबित करने के लिए कुल 14 साक्षियों का परीक्षण किया। अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विवेचन के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को रेवती पटेल की गला घोंटकर हत्या करने के लिए धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया।

11. अ.सा.–1 ओमप्रकाश पटेल, जो मृतका रेवती पटेल का भाई है, कथन करता है कि जब वीरेंद्र के मोबाइल पर एक एसएमएस प्राप्त हुआ कि रेवती पटेल की हत्या सज्ञाद के घर में कर दी गई है, तब उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वह मृत्यु समीक्षा सूचना प्रदर्श पी./1, मृत्यु समीक्षा प्रदर्श पी./2 और सुपुर्दनामा प्रदर्श पी./3 पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार करता है। प्रतिपरीक्षण में वह स्वीकार करता है कि उसने वीरेंद्र के मोबाइल पर प्राप्त संदेश को स्वयं नहीं पढ़ा था और वह वीरेंद्र के कहने पर यह कथन कर रहा है।

12. अ.सा.–2 मंजू पटेल, जो मृतका की बहन है, यह भी कथन करती है कि दिनांक 2.7.2018 को वीरू पटेल को रेवती पटेल के मोबाइल से उसके मोबाइल पर एक संदेश प्राप्त हुआ था कि रेवती की हत्या देना बैंक के पीछे कर दी गई है और उसने उसे इस सूचना के बारे में जानकारी दी। यद्यपि उन्होंने तदनुसार रेवती पटेल की तलाश की लेकिन वह नहीं मिली और इसलिए, एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यद्यपि, बाद में उसका शव सज्ञाद के घर में पाया गया, शव पर कीड़े पड़ गए थे और उससे दुर्गंध आ रही थी।

13. अ.सा.–3 वीरेंद्र कुमार पटेल, जो मृतका का भाई है, कथन करता है कि दिनांक 2.7.2018 को उसे रेवती के मोबाइल फोन से उसके मोबाइल नंबर 98271–15994 पर एक संदेश प्राप्त हुआ कि "आपकी बहन रेवती पटेल मोवा कांपा देना बैंक के पीछे सज्ञाद के मार दिया हूं मोवा पुलिस को लेकर चले जाना"। वह कथन करता है कि पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया था और उक्त संदेश का प्रिंट आउट वस्तु ए–1 है।

14. अ.सा.–5 शेख दानिश, जो मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी./5 और जब्ती प्रदर्श पी./6 का साक्षी है, अभियोजन के प्रकरण का समर्थन करते हुए कथन करता है कि अपीलार्थी के मेमोरेंडम के अनुसार, पुलिस ने अपीलार्थी की निशानदेही पर चार्जर जब्त किया था। अ.सा.–7 शेख अनीस कथन करता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी सज्ञाद के घर में किराए पर रह रहा था।

15. अ.सा.–8 सज्ञाद मेमन कथन करता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी उसके मकान की प्रथम तल पर उसका किंराएदार था और वह वहा अपनी पत्नी रेवती के साथ रह रहा था। दिनांक 3.7.2018 को जब वह कपड़े सुखाने के लिए छत पर गया, तो उसने अपीलार्थी के कमरे से दुर्गंध आती हुई महसूस की और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जब उसने कमरे के अंदर झांका, तो उसने कमरे के भीतर मक्खियां भिनभिनाते हुए देखीं, जिसके कारण उसने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ताला तोड़कर कमरे में दाखिल हुई, तो वहां रेवती का शव मिला। प्रतिपरीक्षण में वह स्वीकार करता है कि बाद में उसे ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी और रेवती लिव–इन रिलेशनशिप में थे।

16. अ.सा.–9 डॉ. शिवनारायण मांझी ने दिनांक 5.7.2018 को मृतका के मृत शरीर का शवपरीक्षण किया और उसके शरीर पर कुछ लक्षण/चोटें पाईं तथा निम्नानुसार अभिमत व्यक्त किया:

> "एक स्त्री का शव प्राप्त हुआ, जो पॉलिथीन शीट में लिपटा हुआ था। मृतका पीले और काले रंग की कुर्ती, भूरे रंग की लेगिंग और सलेटी रंग की अंतःवस्त्र पहने हुए थी। सभी कपड़े अपघटन द्रव्य से भीगे हुए थे। शव सड़ने की हल्की से मध्यम अवस्था में था। चेहरा पहचानने योग्य था, दोनों आँखें धंसी हुई थीं और चेहरा फूला हुआ था। त्वचा साबुत थी। त्वचा की ऊपरी परत कुछ स्थानों पर छिल गई थी, मुख्य रूप से शरीर के उन हिस्सों पर जहाँ दबाव था। जननांग सूजे हुए थे लेकिन साबुत थे; गुदा मार्ग बाहर की ओर निकला हुआ था। पूरे शरीर पर 01 सेंटीमीटर आकार के कीड़े रेंग रहे थे। पेट की दीवार और वक्ष गुहा सुरक्षित थी। नथुनों और मुँह से काले–भूरे रंग का अपघटन द्रव्य निकल रहा था। जीभ दांतों के किनारों से 2.5 सेंटीमीटर बाहर की ओर निकली हुई थी।
>
> **बाह्य चोटें:**
>
> 1. निचले होंठ के बाईं ओर म्यूकोसल सतह पर पार्श्व कृंतक और श्वान दंत के सामने नीलांगू मौजूद था।
>
> 2. नाक की नोक और बाईं ओर पर नीलांगू मौजूद था।
>
> 3. पश्चकपाल भाग में बाहरी ओसीसीपिटल प्रोटुबरेंस पर 04 सेंटीमीटर व्यास के क्षेत्र में लाल रंग का एक्काइमोसिस मौजूद था।
>
> सभी चोटें लाल रंग के एक्काइमोसिस को दर्शाती हैं।
>
> चोटें किसी कठोर एवं बोथरे वस्तु से कारित हुई थीं।
>
> **अभिमत**
>
> 1. मृत्यु का कारण खुला बना हुआ है।
>
> 2. विष के साक्ष्य मौजूद हैं, जिससे मृत्यु का कारण होने का संदेह है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. सभी प्रतिवेदनों की प्राप्ति के पश्चात ही मृत्यु का अंतिम कारण दिया गया। यद्यपि, रासायनिक विश्लेषण के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया।

4. चोटों की अवधि मृत्यु से 12 घंटे पूर्व के भीतर की थी।

5. मृत्यु की अवधि शवपरीक्षण से 02–04 दिन पूर्व की है।

6. शव के सड़ने के कारण मृत्यु की रीति और ढंग पर राय नहीं दी जा सकती।"

7. समस्त निष्कर्षों का परिस्थितिजन्य साक्ष्य के साथ सह–संबंध स्थापित किया जाना आवश्यक है।"

प्रतिपरीक्षण में, चिकित्सक यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें मृतका की गर्दन पर कोई भी आंतरिक या बाह्य चोट नहीं मिली और साथ ही उन्होंने उसके शरीर पर गला घोंटने का कोई भी लक्षण नहीं देखा।

17. अ.सा.–10 रामनारायण वर्मा, प्रधान आरक्षक, का कथन है कि दिनांक 4.7.2018 को मंजू पटेल ने रेवती पटेल के संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसे रोज़नामचा सान्हा प्रदर्श पी/16 में दर्ज किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अ.सा.–12 अवध जैन, नोडल अधिकारी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, का कथन है कि उनकी कंपनी को मृतका रेवती पटेल के मोबाइल नंबर 73544–17465 के कॉल विवरण प्रदान करने हेतु पुलिस से एक पत्र (प्रदर्श पी/18) प्राप्त हुआ था। कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार, उक्त नंबर रेवती पटेल के नाम पर जारी किया गया था और सब्सक्राइबर विवरण प्रदर्श पी/19 है, जो उनके कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। पुलिस की मांग के अनुसार, दिनांक 30.06.2018 से 04.07.2018 तक के कॉल विवरण प्रदर्श पी/20 के माध्यम से प्रदान किए गए थे। इन कॉल विवरणों के अनुसार, दिनांक 2.7.2018 को समय 05:00:30 बजे मोबाइल नंबर 73544–17465 से मोबाइल नंबर 98271–15944 पर एक एसएमएस भेजा गया था, जो सफलतापूर्वक डिलीवर हुआ था। उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ख के अधीन जारी प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी/21) को भी साबित किया।

19. अ.सा.–13 सोनल ग्वाला, विवेचना अधिकारी, ने स्वीकार किया कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्रदर्श पी/34) के अनुसार मृतक के विसरा में विष पाया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉ. मांझी को एक क्वेरी रिपोर्ट भेजा था, परंतु उसे प्रस्तुत नहीं किया।

20. साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहाँ प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, वहाँ अभियोजन के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक होता है:

1. जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है उन्हें पूर्णरूप से साबित किया जाना चाहिये।

2. इस प्रकार साबित तथ्यों को केवल अभियुक्त के दोष की ही परिकल्पना से संगत होना चाहिये अर्थात् यह कहना कि उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण योग्य नहीं होना चाहिये सिवाय इसके कि अभियुक्त ही दोषी है।

3. परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति एवं प्रवृति की होनी चाहिये।

4. उन्हें साबित किये जाने वाली परिकल्पना के सिवाय प्रत्येक सम्भव परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए और

5. साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होना ही चाहिए जो कि अभियुक्त की निर्दोषिता से संगत निष्कर्ष के लिये कोई युक्तियुक्त आधार ही न छोड़े और उसे यह दर्शित करना ही चाहिये कि सभी मानवीय संभाव्यताओं में कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया है।

21. हस्तगत प्रकरण में, किसी भी साक्षी ने अपीलार्थी को मृतका के साथ अंतिम बार देखे जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। किसी भी साक्षी ने यह नहीं कहा कि मृतका की मृत्यु से पूर्व अपीलार्थी घटना स्थल पर उपस्थित था। अ.सा.–8 सज्जाद, जो उस मकान का मालिक है जिसमें अपीलार्थी मृतका के साथ किराए पर रह रहा बताया गया है, उसने भी यह कथन नहीं किया कि मृत्यु से पूर्व उसने अपीलार्थी और मृतका को एक साथ देखा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक (अ.सा.–9 डॉ. शिवनारायण मांझी) के शवपरीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/15) के अनुसार, मृत्यु की रीति और ढंग के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकी कि यह मानववध था या आत्महत्या। एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्रदर्श पी/34) के अनुसार, मृतका के विसरा में विषैला पदार्थ ऑर्गेनोफॉस्फोरस मिथाइल पैराथियान कीटनाशक पाया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु उपरोक्त विषैले पदार्थ के सेवन करने से हुई थी। यद्यपि, अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, अपीलार्थी ने अपने मेमोरेंडम कथन में कहा था कि उसने पहले अपने हाथों से मृतका का गला दबाया और उसके बाद चार्जर केबल की सहायता से उसका गला घोंट दिया। अपीलार्थी के मेमोरेंडम का सुसंगत भाग निम्नानुसार है:

> "... दिनांक 01.07.2018 को सुबह होम केयर ड्यूटी में चली गई, रात करीबन 08:30 बजे मेरे कमरे में आयी मैं आधा घन्टा तक रेवती पटेल को शादी करने की बात बोलकर समझाया किन्तु वह नही मानी शादी करने से इंकार करती रही, तो मै घुस्से में अपने ही किराये के मकान में 09:00 बजे रेवती पटेल का अपने हांथ से गला दबाया 15 मिनट में रेवती शांत हो गई, फिर भी मरी की नही मरी है, सोंचकर मोबाईल के चार्जर केबल तार को उसके गर्दन में घुमाकर कसकर करीबन 05

> मिनट तक पकड़े रहा जब रेवती मर गई तो छोड दिया, मै रेवती के मरने के पहले कॉपी के पन्ना में दोनो आत्म हत्या करने की तथा रेवती की हत्या करने की बात लिखा था. रेवती के मरने के बाद लिखा था. रेवती पटेल के मरने के बाद घर में लगी बिजली के तार को आत्म हत्या करने के लिए पकडा तो एम.सी.व्ही. गिर जाने से बिजली गुल हो गई, रेवती के मोबाईल से उसके ममरे भाई बिरेन्द्र पटेल के मोबाईल नंबर 9827115944 में दिनांक 02.07.18 के सुबह 05:00 बजे अंग्रेजी में मैसेज किया कि 'आपकी बहन रेवती पटेल को मैं देना बैंक के पीछे सज्ञात के यहां मार दिया हूँ, मोवा पुलिस को लेकर चले जाना लिखकर किया था।"

23. उपरोक्त मेमोरेंडम के अनुसरण में, पुलिस द्वारा प्रदर्श पी/6 के माध्यम से एक चार्जर केबल और एक नोटबुक जब्त की गई थी। यद्यपि, विशिष्ट और अकाट्य चिकित्सा एवं फोरेंसिक साक्ष्यों के आलोक में उपरोक्त वस्तुओं की जब्ती अपना महत्व खो देती है, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि रेवती पटेल की मृत्यु ऑर्गेनोफॉस्फोरस मिथाइल पैराथियान कीटनाशक के सेवन से हुई थी। शव परीक्षण चिकित्सक (अ.सा.–9) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि शवपरीक्षण के दौरान उन्हें मृतका की गर्दन पर कोई आंतरिक या बाह्य चोट नहीं दिखी और न ही मृतका के शरीर पर गला घोंटने का कोई लक्षण दिखाई दिया। यहाँ तक कि अभियोजन मृतका की मृत्यु की प्रकृति को साबित करने में भी असफल रहा है कि यह मानववध थी या आत्महत्या।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सतीश निरंकारी विरुद्ध राजस्थान राज्य; (2017) 8 एससीसी 497** के प्रकरण में अपने निर्णय की कण्डिकाएँ 38 व 39 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

> "38. ..... अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा कि मृत्यु का कारण मानव वध था। डॉ. एस.के. पाठक (अ.सा.–3) ने यह नहीं कहा कि मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। शवपरीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी–4) में भी यह नहीं कहा गया है कि यह मानववध था।
>
> 39. उच्च न्यायालय द्वारा इस पहलू पर विचार तक नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, कथित हथियार अर्थात् केबल वायर को अपीलार्थी के उंगलियों के निशान की पुष्टि के लिए सी.एफ.एस.एल. या किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया था। उपरोक्त सभी कारक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि अभियोजन अपीलार्थी के दोष को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में समर्थ नहीं रहा है। अभियोजन की कहानी में छिपे हुए संदेह हैं और कई ऐसी कड़ियाँ गायब हैं जिन्हें ऊपर इंगित किया गया है।"

25. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए; मौखिक साक्ष्य का चिकित्सकीय और फोरेंसिक साक्ष्य के साथ पूर्णतः असंगत और

विपरीत होना; अभियोजन द्वारा अपीलार्थी को मृतका के साथ अंतिम बार देखे जाने के तथ्य और मृतका की मृत्यु की प्रकृति को साबित करने में असफल रहना; इन सब को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन प्रश्नगत अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत हैं। ऐसा होने के नाते, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किए जाने का पात्र माना जाता है।

26. परिणामतः, यह अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और फलस्वरूप, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। यह सूचित किया गया है कि अपीलार्थी जेल में है, अतः यदि किसी अन्य अपराध के संबंध में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे अविलंब रिहा किया जाए।

27. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित न्यायालय के समक्ष 25,000/– रुपये की राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उसी राशि की एक विश्वसनीय प्रतिभूति, दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रारूप क्रमांक 45 के अनुसार प्रस्तुत करे। यह बंधपत्र छह माह की अवधि के लिए प्रभावी होगा, जिसके साथ यह वचनबद्धता भी होगी कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर होने या अनुमति प्रदान किए जाने की स्थिति में, सूचना प्राप्त होने पर उपरोक्त अपीलार्थी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारण न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रतिप्रेषित किया जाए।

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/–
(बिभु दत्त गुरु)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और**

कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur